



न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।
शस्त्र वाद सं०- 89/2014

सरकार (मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा)

बनाम

अभिमन्यु सिंह, पे०-विजय कुमार सिंह, सा०-भोरहॉ, थाना-पानापुर, जिला-सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
02.12.2014	<p>दिनांक 05.08.2014 को आवेदक अभिमन्यु सिंह, पे०-विजय कुमार सिंह, सा०-भोरहॉ, थाना-पानापुर की उपस्थिति में सुनवाई की गई।</p> <p>इस न्यायालय के पत्रांक 917/26.08.2014 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से आवेदन के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, सारण के ज्ञापांक 4101/गो० दिनांक 29.09.2014 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढौरा के पत्रांक 864/दिनांक 23.09.2014 एवं थानाध्यक्ष, पानापुर के ज्ञापांक 998, दिनांक 15.09.2014 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। थानाध्यक्ष, पानापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं है। इनका गॉव उग्रवाद से प्रभावित है। जांच के क्रम में इन पर किसी प्रकार की खतरे की आशंका प्रकाश में नहीं आई है।</p> <p>पुलिस प्रतिवेदन के परिसीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के क्रम में कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निदेश है कि वे पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करें एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p> जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।</p> <p> जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।</p>	

ज्ञापांक 1039 दिनांक 04/12/14
प्रतिलिपि- S.P. साण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी साण / 1090,
NFC, साण को सूचार्थ एवं आपश्चक सूचार्थ के लिए
R. K. वरुण उप सहायक
जिला विधि शाखा, साण